

न्यायालय: उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

बंटवारा वाद सं० 63/2023

सत्येन्द्र सिंहवादी

बनाम

कृष्णा सिंह वो०प्रतिवादीगण

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
12-12-2025		

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा व्य० प्र० सं० के आदेश 1 नियम 10 अंतर्गत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत वाद में वादी की तरफ से दिनांक 09.05.2024 को व्य० प्र० सं० के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर मुंगा देवी एवं जितेन्द्र कुमार को प्रतिवादी सं 26 एवं 27 बनाने की प्रार्थना की गयी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 12.12.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दिनांक 09.05.2024 को नॉट प्रेस कर, आवेदन को नॉट प्रेस में खारिज करने का प्रार्थना किए।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होती है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.05.2024 को व्य० प्र० सं० के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया। जो शपथ पत्र से समर्थित है। अतः विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थना पर व्य० प्र० सं० के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 09.05.2024 को नॉट प्रेस में खारिज किया जाता है।

लेखापित व संशोधित

Opendra Sah
(उपेन्द्र साह)

सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज
पूर्वी चम्पारण।